

(ख) और (ग) : मास्टर विनय कुमार बनवारीलाल अथवा उसके परिवार के सदस्यों के नियंत्रक अधिकार वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी। जिन अन्य कम्पनियों में उसके परिवार के सदस्यों के सिर्फ थोड़े से ही शेयर हैं, उनके बारे में इसी तरह की सूचना इकट्ठी करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा।

मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अंशधारी

4273. श्री बृज भूषण लाल : क्या वित्त मंत्री 8 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन में मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी मास्टर विनय कुमार बनवारी लाल के हिस्से हैं;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों में कितना आय-कर दिया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि में सरकार द्वारा इन कम्पनियों पर कितना आयकर लगाया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). मास्टर विजय कुमार बनवारी लाल अथवा उसके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण अधिकारी वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी। जिन अन्य कम्पनियों में उसके परिवार के सदस्यों के सिर्फ थोड़े से ही शेयर हैं उनके बारे में इसी तरह की सूचना इकट्ठी करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा।

मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन

4274. श्री बृज भूषण लाल : क्या वित्त मंत्री 8 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के करदाताओं के बारे में सूचना अब प्राप्त कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उन 80 करदाताओं का ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के भागीदारों के जिन मामलों में कर-निर्धारणों की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, उनमें जारी की गयी कर की मांग, अदा किये गये कर तथा उनसे बाकी लेनी रही रकमों के ब्योरे सभा पटल पर रखे गये अनुबन्ध में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT 1762/68]

मध्य प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार

4275. श्री नाथू राम अहिरवार : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में हरिजनों पर सर्वत्र हिन्दुओं द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकार ने सरकारी स्तर पर जानकारी प्राप्त कर ली है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्तयल राव) : (क) कार्यवाही योग्य सभी मामलों में अपराधियों पर कानूनी अदालतों में मुकदमें चलाये गए हैं। मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में इन घटनाओं पर विमर्ष हुआ और यह सहमति हुई कि विशेष सावधानी और तत्परता से ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियां

4276. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये वित्तीय वर्ष 1968-69 में राज्य सरकारों को, राज्यवार अलग अलग, विश्व-विद्यालय छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) क्या यह राशि पिछले वर्ष नियत की गई राशि से कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्तयल राव) : (क) सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र में प्रत्येक राज्य के लिए नियतन बताया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-1763/68]

(ख) नहीं, श्रीमान।

बालमीकि समुदाय के लोग

4277. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या समाज कल्याण मंत्री 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4975 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बालमीकी समुदाय को शौचालयों की किसी भी ढंग से सफाई करने के घूणित कार्य से कब तक मुक्त किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्तयल राव) : खुश्क पाखानों के बनाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा उनके स्थान पर प्लग पाखाने बनाने के ही मूल के शारीरिक तौर पर हटाने की क्रिया बन्द हो सकती है। इसमें बहुत धन खर्च होगा तथा नगरपालिकाओं सम्बन्धी और अन्य कानूनों का संशोधन करना होगा। इस कार्य के लिए वित्तीय संसाधन अभी नजर नहीं आते हैं। अतः अभी किसी विशेष समय-सीमा की आंग इंगित करना सम्भव नहीं है।

अस्पृश्यता उन्मूलन

4278. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग मांगा है क्योंकि इस बारे में कानून कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं और उनसे किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है ?

समाज कल्याण विभाग तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्तयल राव) : (क) और (ख) : हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग लोग, ईश्वर शरण